बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संoसंo–लoसिoमोo– प्र.3/ल.ज.स. (विधि)-77/2019-1427 (मी) पटना, दिनांक–08/7/2020

प्रेषक,

श्री गोपाल मीणा, भाoप्रoसेo
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राजेन्द्र कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा।

विषयः– **नवादा प्रमंडल अंतर्गत "धमौल आहर पईन योजना" के कराये गये कार्य हेतु आवंटन की अधियाचना के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक–212 दिनांक–13.02.2020**

महाशय,

आपके द्वारा सूचित किया गया है कि उपर्युक्त विषयांकित कार्य वर्ष 2015–16 में ही समाप्त हो चुका है। आपके द्वारा कराए गए वास्तविक कार्य के अनुरूप ही अधियाचना की जानी चाहिए थी। किन्तु आपने प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व कार्यपालक अभियंता, की अधियाचना को ही आधार मानकर अधियाचना करने का उल्लेख किया है। इससे से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि मापी पुस्त में कराये गये कार्यों की प्रविष्टि दर्ज नहीं थी।

विभाग द्वारा इन योजनाओं की समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन की मांग यदि न की गयी होती तो आप के द्वारा 17.135 लाख रू0 के स्थान पर 63.434 लाख रू0 का भुगतान कर दिया जाता। आपकी अधियाचना को आधार मान कर संवेदक द्वारा भी Claim किया जा सकता था तथा सरकार को क्षति हो सकती थी।

एक जवाबदेह पदाधिकारी होने के नाते आपका यह कर्तव्य था कि पूर्व क्रियान्वित योजना के कार्यो की जांच कर एवं मापी पुस्त में दर्ज वास्तविक प्रविष्टि के अनुरूप भुगतान हेतु अधियाचना करते न कि पूर्व के कार्यपालक अभियंता द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण अधियाचना के आधार पर पुनरावृत्ति करते।

इस प्रकार आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को अमान्य किया जाता है।

आप अपना पुनः स्पष्टीकरण दें कि आपके इस कृत्य के लिये क्यों नही आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
08/7/20

विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

D:\GEET-2020\JULY\LETTER-07.07.20 SPL.SEC.DOC